प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.10.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

▶ थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 मैजिक वाहन में क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 04 राशि गोवंश बरामद, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2025 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम बरठी कमरौर बिहारी हाण्डी मटन के सामने से एक टाटा मैजिक वाहन संख्या UP 67 BT 3141 से कुल 04 राशि गोवंश गाय की बरामदगी करते हुए 01 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अमित पुत्र चन्द्रभान निवासी वीसूपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 20 वर्ष के रुप मे हुई है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 301/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गोवंशो को चौबेपुर जनपद वाराणसी से लादकर चंदौली के रास्ते बिहार होते पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। जहां गोवध के लिए गोवंशो को बेचकर काफी अच्छा पैसा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अमित पुत्र चन्द्रभान निवासी वीसूपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 20 वर्ष

विवरण बरामदगी-

1.04 राशि गोवंश गाय

2.एक टाटा मैजिक वाहन संख्या UP 67 BT 3141

3.500 रूपये नगदी व 01 टच स्क्रीन मोबाइल

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 301/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली ।

3.हे0का0 दिनेश कुमार सिंह सैयदराजा चन्दौली

4.का0 गौरव राय थाना सैयदाराजा चन्दौली

5.का0 गूंजन तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना चकिया जनपद चंदौली

▶ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा पैदल हांककर ले जा रहे 03 राशि गोवंश को बरामद कर गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2025 को थाना चकिया पुलिस द्वारा सैदपुर बाजार में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 03 राशि गोवंशो को क्रूरतापूर्वक पैदल हांककर सुल्तानपुर बेलावर होते हुए बैना होते हुए बैना पहाड़ी के किनारे-किनारे से होते हुए बिहार की ओर लेकर जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बैना पहाड़ी समीप जाकर घेराबंदी कर 03 राशि गोवंशो को बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. जावेद पुत्र स्व0 हबीब निवासी बेलावर थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. चुनमुन पुत्र स्व0 जलील निवासी ग्राम अमाँव थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार 3. कमालुद्दीन पुत्र स्व0 मुस्लिम निवासी बेलावर थाना चकिया जनपद चन्दौली के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं-199/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोवंशो को कम दाम में सुल्तानपुर गाँव से खरीदे थे, और आज इनको रामगढ़ बंधा बिहार के मेले में लेकर जा रहे थे। प्रत्येक मंगलवार को वहाँ पर मेला लगता है। वहाँ से गोवंशो को बड़ी गाड़ी में लादकर पश्चिम बंगाल वध करने के लिये भेज दिया जाता है। गोवंशो को बेचने से जो पैसा मिलता उसे हम तीनो लोग मिलकर बराबर-बराबर बांट लेते।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.जावेद पुत्र स्व0 हबीब निवासी बेलावर थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.चुनमुन पुत्र स्व0 जलील निवासी ग्राम अमाँव थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार

3.कमालुद्दीन पुत्र स्व0 मुस्लिम निवासी बेलावर थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त जावेद का अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 199/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.मु.अ.सं. 31/2021 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं. 154/2021 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त चुनमुन का अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 199/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली।

अभियुक्त कमालुद्दीन का अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 199/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1.03 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 रामा प्रसाद यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 राजू कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.का0 राकेश कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

6.पीआरडी छविनाथ थाना चकिया जनपद चन्दौली।